प्रेस विज्ञप्ति

07 .02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माननीय मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायालय, साइबराबाद के समक्ष दिनांक 13.12.2023 को मैसर्स श्री वेंकटेश्वर इंडस्ट्रीज और उसके साझेदारों के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 05.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने माननीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, साइबराबाद, मेधचल, तेलंगाना की अदालत में तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। उक्त शिकायत के अनुसार, मैसर्स श्री वेंकटेश्वर इंडस्ट्रीज जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम जिसमें पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध भी शामिल हैं की विभिन्न धाराओं के तहत टीएसपीसीबी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए उचित उपाय के बिना खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ का निपटान कर रही थी।

ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स श्री वेंकटेश्वर इंडस्ट्रीज और उसके साझेदारों ने अपने परिसर में उत्पन्न खतरनाक कचरे के उपाय की वैधानिक आवश्यकता का पालन नहीं किया और इसे हैदराबाद अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा को नहीं भेजा। इसके बजाय, फर्म ने खतरनाक कचरे को ईंट निर्माताओं को देकर उसका निपटान किया। जांच से यह भी पता चला कि उक्त अपराध को अंजाम देकर फर्म और उसके साझेदारों ने अपराध की आय से 90 लाख रुपए अर्जित किए।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मैसर्स श्री वेंकटेश्वर इंडस्ट्रीज के नाम पर 90 लाख रुपए की सावधि जमा राशि जब्त की थी।